"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 362] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 सितम्बर 2016— भाद्रपद 31, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-12/2016/एक-7. — दिनांक 17-09-2016 को थाना मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा में पुलिस अभिरक्षा में सतीश नोरंगे पिता राजराम नोरंगे की मृत्यु हो गई, और चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि इस घटना से संबंधित सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों की जांच के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है, अर्थात् :-

1. दिनांक 17-09-2016 को पुलिस थाना मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा में पुलिस अभिरक्षा में मृतक सतीश नोरंगे की मृत्यु कैसे हुई थी?
2. वह कौन सी परिस्थितियां थी अथवा कौन से कारण थे, जिनके फलस्वरूप घटना घटित हुई ?
3. उक्त घटना हेतु कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ?
4. भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने हेतु क्या उपाय है ?
5. अन्य कोई बिन्दु जो जांच आयोग शासन के संज्ञान में लाना चाहें.

2. अतएव जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त लोक महत्व की विशेष जांच हेतु एक एकल सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त करता है, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री इंदरसिंह उबोवेजा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर होंगे. आयोग अपनी जांच इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर पूरी करेगा तथा शासन को रिपोर्ट सौंपेगा.

3. जांच के दौरान तकनीकी विषय/बिन्दुओं पर आयोग किसी संस्था/विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.